# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/विलम्ब अवधी नियमन/50/2011–12/2975 दिनांकः– 21.3.2012

## कार्यालय–आदेश

मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिथ स्तर के आवासों के आवंटन पश्चात् 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य करायें जाने की समयावधि को, मण्डल की 208वीं बैंठक में लिए गये निर्णयानुसार कार्यालय आदेश क्रमांकः 1444 दिनांक 04.12.2009 के द्वारा आगामी 4 वर्षो के लिए, तत्समय आवंटन पत्र में अंकित भूमि के मूल्य का 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क प्रतिवर्ष वसूल करते हुए भवन निर्माण कराने की अवधि बढाने का प्रावधान किया गया था।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 3 (212) नविवि/3/2011 दिनांक 13.09.2011 के क्रम में आवासन मण्डल की 215वीं बैठक दिनांक 16.02.2012 के विचार बिन्दु संख्या 215.13 में लिए गये निर्णयानुसार नियत 2 वर्षो की अवधि में निर्माण नहीं करने पर आगामी 8 वर्षो तक तत्समय आवंटन पत्र में अंकित भूमि के मूल्य का 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूलते हुए भवन निर्माण करने की समयावधि–बढाने का प्रावधान किया जाता है। विलम्ब अवधि की गणना आवास/भूखण्ड का कब्जा दिये जाने की तिथि से मासिक रूप से की जावेंगी। कुल 10 वर्षो की समयावधि में भी निर्माण नहीं कराने पर आवंटित भूखण्ड/आवास स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त 10 वर्षो की अवधि में भी यदि निर्माण नही कराया जाता है तो ऐसे आवंटन निरस्त कर इसकी सूचना मुख्यालय में भिजवाये। आदेशो की पालना नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारियो/कार्मिको के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सहायक–मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. निजी सहायक– निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत ................................ राजस्थान आवासन मण्डल
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ............................ राजस्थान आवासन मण्डल
9. रक्षित पत्रावली।

P.O. ACP प्रको RHB Jaipur

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

85